

इक्कीसवीं सदी में 'कर्म' का पुनर्पाठ — स्त्रीवाद और समरसता के संदर्भ में

डॉ. दीनदयाल

सहायक आचार्य

हिंदी विभाग

जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज

दिल्ली के मध्यवर्गीय संभ्रांत परिवार में जन्मे डॉ. दीनदयाल का जन्म 4 जून 1975 को हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही हुई। इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को आधार बनाकर शिक्षक बनने के अपने स्वप्न को साकार किया। इन्होंने हिंदी में एम फिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न कॉलेजों में 24 वर्षों से

अध्यापन का कार्य करते हुए, वर्तमान समय में ये जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इनके विभिन्न शोध आलेख भाषा, संवाद पथ, वांगमय जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित है। जिसमें भारतीय संस्कृति के दर्पण प्रेमचंद, रीतिकालीन नीतिकारों की दृष्टि, हिंदी और भारतीय भाषा का अंतरसंबंध एवं विकास की संभावनाएं, भारतीय संस्कृति के परिदृश्य में प्रेमचंद का साहित्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और हिंदी भाषा, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, प्रेमचंद के साहित्य में गांधीवादी चेतना, परंपरागत मीडिया बनाम न्यू मीडिया, अपराधवृद्धि के विकास में हिंदी सिनेमा की भूमिका, गांधी की पत्रकारिता, सामाजिक अभिव्यक्ति में सोशल मीडिया की भूमिका, हरिऔध की लोक हितकारी राधा नवजागरण और भारतेंदुयुगीन पत्रकारिता राम कथा में निहित शिक्षा रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय भावना, इंग्लैंड के प्रवासी कवियों की कविताओं का मूल स्वर, राम काव्य परंपरा और आधुनिक रामकाव्य का स्वरूप आदि प्रमुख हैं। इनकी रुचि हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार में भी रही है, जिसमें इन्होंने एम ए भी किया। इन्होंने अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में पोस्ट पीजी डिप्लोमा भी किया तथा अनुवाद की तकनीकी दक्षता भी हासिल की। ये निरंतर अध्ययन अध्यापन में रत रहते हैं। इन्होंने 22 पुस्तकों का संपादन और लेखन किया है। जिसमें व्यावहारिक हिंदी, जनसंचार और रचनात्मक लेखन, हिंदी औपचारिक लेखन, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, कॉरपोरेट, धूमिल कृत पटकथा, हिंदी कहानी, हिंदी गद्य संकलन, कार्यालयी हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, हिंदी सिनेमा और उसका

अध्ययन, हिंदी कविता, मध्यकालीन काव्य, आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य, आधुनिक भारतीय भाषा, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन काव्य, काव्य प्रवाह, गद्य प्रवाह, देव और उनके भाव विलास, देव और उनका रस विलास, रीतिकालीन नीतिकाव्य में कला तत्व आदि प्रमुख हैं। इन्हें विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिले हैं, जिसमें विश्व हिंदी सेवी सम्मान, विश्व राम संस्कृति सम्मान, मौलाना अबुल कलाम आजाद एक्सीलेंस अवॉर्ड फॉर एजुकेशन, चाणक्य सम्मान, राष्ट्रीय गौरव सम्मान आदि प्रमुख हैं।

ईमेल : deendayal@jdm.du.ac.in

परिचय

भारतीय संस्कृति मूलतः कर्म प्रधान है। यहाँ निष्काम कर्म का सन्देश 'गीता' के माध्यम से दिया गया है। यहाँ कर्म का उद्देश्य व्यक्तिगत उत्थान के साथ-साथ परिवार और समाज के लोक कल्याण से भी आबद्ध है। वेदों में नैतिक, सेवाभाव युक्त और मूल्यपरक कर्म पर बल दिया गया है। भारतीय समाज में कौशलों के आधार पर कर्म विभाजन का रूप देखने को मिलता है, जिसे बाद में जन्म, लिंग और जाति आदि से जोड़कर देखा जाने लगा। समय-समय पर कर्म को अलग-अलग दृष्टिकोण से जोड़कर विभाजित होते देखा जाने लगा और देखा जा रहा है। कर्म को वर्तमान (इक्कीसवीं शताब्दी) में केवल श्रम, नौकरी या रोज़गार के रूप में नहीं देखा जाता है। आज यह सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विमर्शों के बीच एक केंद्रीय अवधारणा बन चुका है। विशेष रूप से स्त्रीवाद और समरसता की दृष्टि से कर्म की परिभाषा में गहरा परिवर्तन आया है। जब हम कर्म को स्त्रीवादी दृष्टि से देखते, पढ़ते और समझते हैं, तब यह केवल औपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रम के अवसर का प्रश्न नहीं रह जाता; अपितु यह पारिवारिक श्रम, देखभाल श्रम, संस्थागत-संरचनात्मक असमानताओं, लैंगिक भूमिकाओं, भुगतान और अधिकारों जैसे विभिन्न आयामों से जुड़ जाता है। इस शोध-लेख का लक्ष्य यह है कि कर्म की पुनर्परिभाषा का स्त्रीवादी विमर्श में विश्लेषण किया जाए। यह समझा जाए कि समरसता के सन्दर्भ में कर्म का अर्थ और संरचना कैसे बदल रही है।

बीज शब्दः इक्कीसवीं, कर्म, विभाजन, श्रम, पहचान, लिंग, जाति, समरसता, स्त्रीवाद, संस्कृति, भुगतान, असमानता, भेद, विमर्श, मानवाधिकार, आंदोलन, मुक्ति, परंपरा, पुरुष, समाज, संरचना।

इक्कीसवीं सदी में 'कर्म' का पुनर्पाठ — स्त्रीवाद और समरसता के संदर्भ में

कर्म: ऐतिहासिक, सामाजिक और स्त्रीवादी पृष्ठभूमि

आधुनिक सामाजिक विज्ञान, स्त्रीवादी चिंतन और आर्थिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण विषय है— 'कर्म' और 'लिंग' का आपसी संबंध। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पारंपरिक समाजों में कर्म का विभाजन प्रायः जैविक भिन्नताओं के आधार पर निर्धारित किया गया; किंतु 20वीं और इक्कीसवीं शताब्दी के सामाजिक-वैचारिक आंदोलनों ने यह स्पष्ट किया कि कर्म-विभाजन केवल जैविक नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मान्यताओं और सत्ता-संबंधों का परिणाम है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

लिंग आधारित कर्म-विभाजन द्वारा पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ निर्धारित की गयीं। पुरुषों को सार्वजनिक क्षेत्र (बाज़ार, उद्योग, राजनीति आदि) और स्त्रियों को निजी क्षेत्र (घर, देखभाल, पालन-पोषण आदि) से जोड़ा गया। इस संरचना ने कर्म के मूल्यांकन, वेतन, अवसर और पहचान पर गहरा प्रभाव डाला। पारंपरिक रूप से कर्म को मुख्यतः श्रम, बाजार और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में माना गया जैसे— कर्म करना, उत्पादन, मजदूरी, नौकरियाँ, आदि। औद्योगिक क्रांति के बाद सृजनात्मक उत्पादन में पुरुषों का प्रभुत्व

रहा, जबकि स्त्रियों के श्रम को अक्सर गैर-मूल्यांकित, घर की चार दीवारी की भूमिका में बांधा गया।

औद्योगिक क्रांति से पूर्व कृषि-आधारित समाजों में परिवार एक उत्पादन इकाई के रूप में कर्म करता था। महिलाएँ और पुरुष दोनों ही उत्पादन प्रक्रिया में सहभागी थे, किंतु औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पादन-स्थल और गृह-स्थल अलग हो गए। इससे पुरुषों का कर्म 'आर्थिक' और स्त्रियों का कर्म 'गृहस्थ' माना जाने लगा। स्त्रीवादी विचारक सिमोन द बोउआर ने अपनी पुस्तक 'द सेकेंड सेक्स' में यह तर्क दिया कि स्त्री को 'दूसरा' बनाकर सामाजिक संरचना ने उसके कर्म को गौण बना दिया। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने उत्पादन संबंधों के विश्लेषण में यह संकेत किया कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम का मूल्यांकन सत्ता-संबंधों से जुड़ा है। मेघन वॉकर और अन्य स्त्रीवादी विद्वानों का मानना है कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था ने गृहकर्म जैसे— बच्चों की देखभाल, भोजन बनाना, कपड़े धोना, साफ़-सफाई करना और सामाजिक श्रम जैसी गतिविधियों को श्रम के दायरे से बाहर मान लिया गया। वस्तुतः इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कर्म और लिंग का संबंध केवल जैविक नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक संरचना से निर्धारित हुआ।

स्त्रीवादी दृष्टिकोण से कर्म

स्त्रीवाद ने कर्म की परिभाषा को विस्तृत रूप में पुनर्परिभाषित किया है, जिसमें— भुगतान योग्य कर्म, गैर-भुगतान योग्य कर्म, देखभाल श्रम, सापेक्षक श्रम, संस्थागत कर्म

शामिल हैं। यह दृष्टिकोण बताता है कि कर्म केवल बाजार में कमाई का साधन नहीं; बल्कि यह समाज-निर्माण, परिवार और पहचान का भी मूल घटक है। विशेष रूप से 1970 के बाद के स्त्रीवादी आंदोलन ने यह रेखांकित किया कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था में स्त्रियों का श्रम (देय और अनदेय) आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है; लेकिन यह श्रम संसाधनों, पहचान और शक्ति के वितरण में अदृश्य रखा जाता रहा।

इक्कीसवीं सदी में कर्म का रूप

इक्कीसवीं सदी ने कर्म को अनुभव, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहन रूप से परिवर्तित किया है। इस बदलाव का सबसे गहरा प्रभाव लैंगिक कर्म विभाजन तथा समरसता की अवधारणाओं पर पड़ा है। अब स्त्री घर की चार दीवारी में बंधकर, अशिक्षित रहकर, किसी भी शोषण (आर्थिक, शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जाति आदि के दबाव में नहीं रहती है। अब वह परम्परागत बन्धनों से निकलकर बाहर पुरुष के साथ-साथ कंधा मिलाकर कर्मरत है। इक्कीसवीं सदी की तकनीकी प्रगति (डिजिटल टूल, एआई, चैट जीपीटी, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था) ने तो आज कर्म के स्वरूप को ही बदल दिया है। आज दूरस्थ कर्म, गिग अर्थव्यवस्था, लचीले अनुबंध, स्मार्ट वर्क और ऑटोमेशन ज्ञान-आधारित आदि कर्म दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों ने कर्मस्थल पर लिंग आधारित विभाजन को चुनौती दी है, लेकिन साथ ही डिजिटल विभाजन के नए आयाम भी खोले हैं, जिनका सीधा प्रभाव स्त्री और लैंगिक अल्पसंख्यकों पर भिन्न रूप से पड़ता है। आज कर्म संबंधी संतुलन

और अपेक्षाओं में बदलाव आया है। कर्म-विभाजन में संतुलन की मांग, गुणवत्ता, आरोग्य और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता, लचीले समय और घर-आधारित कर्म की मान्यता प्रधान है।

कर्म और स्त्री

सृष्टि में स्त्री हो या पुरुष दोनों ही अपने-अपने सामर्थ्य, कौशल, परिवेश आदि के आधार पर कर्मरत हैं। कहीं केवल पुरुष को कर्मठ, कर्मयोगी की संज्ञा नहीं दी गयी है। प्रकृति और पुरुष के संयोग की तरह दोनों ही कर्म करते रहे हैं; लेकिन एक वाद विशेष, विचार विशेष एक दृष्टि से स्त्री और पुरुष को अलग-अलग कर्मों और कर्म क्षेत्र से बाँधकर देखता रहा है। कहीं पुरुष द्वारा किये गए बाहरी कार्यों को ही श्रेष्ठ या कर्म मानकर स्वीकृति दी गयी और कहीं स्त्री के घरेलू, पारिवारिक कर्म को केवल कर्तव्य, त्याग और समर्पण के भाव से जोड़कर देखा गया है। समय के परिवर्तन के साथ-साथ स्त्री ने जब विभिन्न परिस्थितियों में घर से बाहर के कर्म क्षेत्र में पदार्पण किया तब कर्म संबंधी इस विभाजन में नया दृष्टिकोण उभरा। आज स्त्री शिक्षित है। घर से बाहर जाकर वह पुरुष के बराबर क्या उससे बढ़कर काम कर रही है; लेकिन लैंगिक दृष्टि से आज भी कर्मों में भेदभाव देखा जा सकता है।

आज स्त्रीवादी विचार इस परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि अकादमिक, पारिवारिक और देखभाल श्रम में स्त्रियों की भूमिका को उचित मूल्य, मान्यता, अधिकार और समर्थन की आवश्यकता है। आज लैंगिक मजदूरी अंतर को समाप्त करना होगा। अंतरराष्ट्रीय

श्रम संगठन के अनुसार, आज भी वैश्विक रूप से स्त्रियों को समान कर्म के लिए पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता है। इस असमानता के साथ-साथ भेदभाव आधारित वेतन संरचना, कर्मस्थल पर अवसरों की असमानता, पदोन्नति और नेतृत्व भूमिकाओं में नुक्सान जैसी समस्याएं भी इस विमर्श से जुड़ी हैं। कर्मस्थल पर लैंगिक असुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय है। स्त्रीवादी शोधों ने यह रेखांकित किया कि स्त्रियों को द्वितीय श्रेणी कर्मियों के रूप में देखा जाता है। यौन उत्पीड़न, अनुपातहीन अवसर, संस्कृति में पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियाँ आज लगभग सभी प्रकार के कर्मस्थलों में व्याप्त हैं। वस्तुतः आज कार्यस्थल की संस्कृति में बदलाव आवश्यक है ताकि सभी लिंगों को सुरक्षित और समान अवसर मिलें।

समरसता और कर्म

हमें पहले यह जान लेना होगा कि समरसता का तात्पर्य समानता से अलग है। जहां समानता सभी के लिए समान संसाधनों का वितरण है, वहीं समरसता उन विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखकर संसाधनों का वितरण है ताकि सभी के लिए समान अवसर सृजित हो। आज इक्कीसवीं सदी में कर्म के संदर्भ में समरसता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पारंपरिक समानता मॉडल ने संरचनात्मक असमानताओं को नहीं हटाया। हमें वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते यदि संरचनात्मक बाधाओं को संबोधित नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ वेतन समानता तभी मूल रूप से असरदार होती है जब देखभाल लायक जिम्मेदारियों तथा घरेलू कार्यभार को भी बराबर मान्यता मिले।

समावेशन और कर्म

समावेशन का अर्थ है कि कर्मस्थल, शिक्षा और आर्थिक प्रणाली में हर लिंग, पहचान और पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल किया जाए। समावेशन के मुख्यतः चार आयाम हैं— 1) श्रम बाजार में भागीदारी, 2) समान अवसर और संसाधन, 3) नेतृत्व और निर्णय-लेने की भूमिकाएँ, 4) सुरक्षा, सम्मान और पहचान। समावेशन स्त्रीवादी कर्म-विमर्श का केंद्र है क्योंकि यह केवल अवसरों का विस्तार नहीं है; बल्कि धार्मिक, सामाजिक एवं लैंगिक पहचान के आधार पर विभेद को खत्म करने का प्रयास है।

इक्कीसवीं सदी में कर्म के पुनर्पाठ के प्रमुख स्त्रीवादी विमर्श

कर्म केवल आय का साधन नहीं, बल्कि अस्तित्व का भी स्रोत है। आधुनिक समाज में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, आत्मसम्मान और पहचान उसके पेशे से जुड़ी होती है। स्त्रियों के लिए यह पहचान ऐतिहासिक रूप से सीमित रही, क्योंकि गृहकर्म को 'स्वाभाविक कर्तव्य' माना गया। परिणामस्वरूप, स्त्रियों की पहचान पत्नी, माँ, बहन जैसे परिवार के संबंधों से जुड़ी रही, न कि किसी पेशे से। इक्कीसवीं सदी में शिक्षा और रोजगार के अवसरों ने इस संरचना को चुनौती दी है। अब महिलाएँ विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, राजनीति और उद्यमिता में सक्रिय हैं। फिर भी, सामाजिक अपेक्षाएँ और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ कर्म और पहचान के बीच संतुलन को प्रभावित करती हैं।

देखभाल-कर्म तथा उसका मूल्य

आज देखभाल-कर्म इस दशक में एक बड़ा विमर्श बन चुका है। इसमें कुछ विशिष्ट कर्मों से ही जोड़कर देखा जाता है— जैसे बच्चों की देखभाल, बूढ़ों की सहायता, घर-गृहस्थी के काम आदि। पारंपरिक श्रम-सिद्धांतों ने इस श्रम को अर्थव्यवस्था से बाहर माना, जबकि स्त्रीवादी विचार-विमर्श इसे अर्थव्यवस्था का मूल या आधारभूत मूल्यांकन मानता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रों से पता चलता है कि औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल न होने के बावजूद देखभाल-कर्म अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। इसके बिना श्रम-बाजार का संतुलन और उत्पादन संतुलन संभव नहीं है। यह स्त्रीवादी पुनर्पाठ कर्म की परिभाषा को विस्तृत करता है, जिससे अर्द्ध-अभिज्ञ श्रम, गैर-अदृश्य और गैर-भुगतान योग्य श्रम मान्यता प्राप्त हो।

नेतृत्व और सशक्तिकरण

इक्कीसवीं सदी ने कर्मस्थल में स्त्रियों के नेतृत्व की भागीदारी बढ़ाई है। कई देशों में महिला प्रतिनिधित्व को शिक्षा, नीति और व्यापार में बढ़ावा दिया जा रहा है। सशक्तिकरण के अभियान कार्यों को अवसर देने से आगे बढ़कर स्वावलंबन और नेतृत्व क्षमता पर केंद्रित हैं। स्त्रीवादी अध्ययन बताते हैं कि जब महिलाएँ नेतृत्व में आती हैं तब— निर्णय प्रक्रियाओं में समावेशन, लचीले कर्म नीति, मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन के लिए समर्थन जैसी नीतियाँ अधिक प्रभावी रूप से लागू होती हैं।

लैंगिक पहचान और कर्म

हमें लिंग आधारित कर्म-विभाजन दो प्रमुख स्तरों पर दिखाई देता है— क्षेत्रीय विभाजन और ऊर्ध्वाधर विभाजन। कुछ पेशों को 'महिला-प्रधान' और कुछ को 'पुरुष-प्रधान' माना जाता है। उदाहरण के लिए, नर्सिंग, शिक्षण, देखभाल जैसे कर्म स्त्रियों से जोड़े जाते हैं, जबकि इंजीनियरिंग, निर्माण, रक्षा आदि पुरुषों से। अनेक स्थलों पर समान पेशे में भी उच्च पदों पर पुरुषों की संख्या अधिक और निम्न पदों पर स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। यह विभाजन सामाजिक रूढ़ियों और संस्थागत पूर्वाग्रहों का परिणाम है, न कि क्षमता का। वर्तमान युग में कर्मस्थल को केवल 'महिला और पुरुष' के दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। आज इक्कीसवीं सदी में तो यह ट्रांसजेंडर, नॉन-बाइनरी, जेंडर-क्वियर जैसी पहचान की विविधता को भी स्वीकार करता है। आज के समावेशन मॉडल का मुख्य लक्ष्य यह है कि— सभी लिंगों के लोगों को कर्मस्थल पर समान सम्मान प्राप्त हो, अनुकूल नीतियाँ और समर्थन उपलब्ध हो, भेदभाव और विषमता को समाप्त किया जाए। वस्तुतः यह इक्कीसवीं सदी की सबसे उभरती और प्रभावशाली दिशा है, जिसे स्त्रीवादी कर्म विमर्श का प्रगतिशील चरण माना जा सकता है।

नीति और कर्म: अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संदर्भ

लिंग और कर्म की समानता और असमानता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न नीतियाँ बनाई गयी और उनमें समय की मांग के अनुसार बदलाव भी किया गया। यही नहीं विभिन्न अभियानात्मक प्रयास भी सक्रिय हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे आईएलो (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) ने स्त्रियों के लिए समान अवसर, न्यूनतम वेतन, सुरक्षित कर्मस्थान और समावेशन नीतियों पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्रीय स्त्री कार्यक्रमों में 'बैटर बैलेंस फॉर गुड्स', 'जेंडर पे गैप मोनेटरिंग' जैसे प्रोजेक्ट कर्मस्थल में समरसता और समानता सुनिश्चित करते हैं।

भारत में कर्म और समरसता

कर्म-जीवन संतुलन का प्रश्न विशेष रूप से स्त्रियों के संदर्भ में उठता है। पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिक कमाने वाले हों। स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार और देखभाल की जिम्मेदारी निभाएँ। इस दोहरे मानदंड से स्त्रियों पर 'दोहरे कर्मभार' का दबाव पड़ता है— एक ओर पेशेवर कर्म, दूसरी ओर घरेलू कर्म। कोविड-19 महामारी के दौरान यह असमानता और स्पष्ट हुई, जब घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) की स्थिति में स्त्रियों पर घरेलू जिम्मेदारियों का भार अधिक बढ़ा। वस्तुतः भारत में महिला कर्मबल भागीदारी पिछले दशकों में घट रही है, जबकि शिक्षा के स्तर और कौशल में वृद्धि हो रही है। इस क्रम में भारत की प्रमुख चुनौतियाँ

कुछ इस प्रकार हैं— 1) पारंपरिक सामाजिक संरचना, 2) सुरक्षा और सामाजिक मान्यताएँ, 3) उपेक्षित कौशल पहचान। भारत में कर्म और समरसता के मुद्दे को सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है और इसके संतुलन के लिए अनेक अभियान चलाये हैं, जिससे विकसित और समरस भारत का स्वप्न साकार हो; जैसे— 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'नारी शक्ति पुरस्कार', 'स्किल इंडिया मिशन'। ये सभी कार्यक्रम कर्म की समरसता को बढ़ाने की दिशा में नीति-आधारित कदम हैं।

समकालीन चुनौतियाँ और संभावनाएँ

कर्म में जेंडर की समरसता के भाव को लेकर चाहे प्रगति हुई है, फिर भी आज भी अनेक चुनौतियाँ हमारे सामने मुहं बाये खड़ी हैं, जैसे— नेतृत्व पदों पर स्त्रियों का कम प्रतिनिधित्व, अनौपचारिक क्षेत्र में असुरक्षित कर्म स्थितियाँ, तकनीकी क्षेत्रों में लैंगिक अंतर, सामाजिक रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह। विशेष रूप से विकासशील देशों में महिला श्रम भागीदारी दर अपेक्षाकृत कम है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं से प्रभावित है; लेकिन इन समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए आज इक्कीसवीं सदी के डिजिटल युग में निपटने की हमारे पास अपार संभावनाएं भी हैं।

कर्मस्थल में पक्षपाती और संरचनात्मक बाधाएँ

‘अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन’ के अनुसार वैश्विक स्तर पर स्त्रियों को समान कर्म के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन प्राप्त होता है। इसे ‘जेंडर वेज गैप’ कहा जाता है। इस असमानता के कारणों में शामिल हैं— मातृत्व और देखभाल की जिम्मेदारियाँ, करियर में अवरोध, कर्मस्थल पर भेदभाव। यही नहीं अनौपचारिक क्षेत्र में स्त्रियों की अधिक भागीदारी है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो स्त्रियों का गैर-भुगतान योग्य श्रम भी राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है, किंतु इसका औपचारिक मूल्यांकन नहीं होता। स्त्रीवादी अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क दिया है कि यदि घरेलू और देखभाल कर्म का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए, तो राष्ट्रीय आय की गणना में बड़ा परिवर्तन आएगा। इक्कीसवीं सदी में आज भी अनेक, अनजाने, अनचाहे पक्षपाती रूप की चुनौतियाँ कर्मस्थल में निर्णय और अवसरों को प्रभावित करती रहती हैं। महिलाएँ उच्च पदों पर कम प्रतिनिधित्व रखती हैं। सामाजिक अपेक्षाएँ और पारिवारिक दबाव आज भी कर्म को दोनों-लिंगों के लिए समान रूप से सम्भव नहीं करते। कुछ कर्म आज भी स्त्री के लिए, कुछ कर्म पुरुष के लिए ही थोप से दिए गए हैं।

सीखना और कौशल विकास

इक्कीसवीं सदी में कई सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। लचीले कर्म मॉडल, दूरस्थ कर्म, पैतृक अवकाश की नीतियाँ, कर्मस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न विरोधी कानून आदि। इन पहलों और प्रयासों का उद्देश्य कर्मस्थल को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाना है। साथ ही, ‘जेंडर

मेनस्ट्रीमिंग' की अवधारणा के तहत नीति-निर्माण में लिंग दृष्टिकोण को शामिल किया जा रहा है। इससे कर्म-क्षेत्र में समान अवसर और प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास हो रहा है।

इक्कीसवीं सदी का कर्म ज्ञान-आधारित और कौशल-आधारित है। आज स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि— उन्हें डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, उनके कर्मस्थल में लचीलापन हो, समान-सुरक्षित वातावरण मिले; रि-स्किलिंग, नेटवर्किंग और नेतृत्व प्रोग्राम में उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए। यह परिवर्तन एक व्यक्ति-निर्मितिक से संस्थागत-संरचनात्मक बदलाव की ओर बढ़ सकता है और सुदृढ़ हो सकता है।

निष्कर्ष

कर्म और लिंग का संबंध केवल आर्थिक प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, पहचान, समानता और मानवाधिकार का प्रश्न है। लिंग आधारित कर्म-विभाजन ने ऐतिहासिक रूप से स्त्रियों के श्रम को कम आंका और अदृश्य बनाया। इक्कीसवीं सदी में 'कर्म' की पुनर्परिभाषा केवल अर्थव्यवस्था या नौकरियों तक सीमित नहीं रह गई है। यह एक समाज-निर्माण, पहचान-निर्माण, लैंगिक न्याय और समरसता की प्रक्रिया बन चुकी है। स्त्रीवादी विमर्श ने यह स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था और लैंगिक पहचान अविभाज्य हैं। कर्म को पुनर्परिभाषित करते समय हमें भुगतान योग्य और गैर-भुगतान योग्य श्रम दोनों का ध्यान रखना चाहिए। समरसता को पहचान और संसाधन दोनों के स्तर पर ध्यान देना आवश्यक है। आज कर्म पहचान का स्रोत

है। भूमिका और अवसर सभी लिंगों के लिए खुला है। यदि कर्मस्थल और समाज में वास्तविक समानता स्थापित करनी है, तो लिंग आधारित पूर्वाग्रहों और संरचनात्मक असमानताओं को पहचान कर उन्हें दूर करना अनिवार्य होगा। वस्तुतः यह पुनर्पाठ कर्म को एक समावेशी, समरस और मानव-केंद्रित प्रक्रिया के रूप में स्थापित करता है।

संदर्भ

हार्टमैन, हेइडी और इंग्लिश, डेबोरा, (1978) 'विमेन्स वर्क, मेन्स प्रॉपर्टी' (फेमिनिस्ट प्रेस)

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन, (2024) ग्लोबल वेज रिपोर्ट

आईएलओ, (2024) वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक

वॉकर, मेघन, (1999) हाउसहोल्ड लेबर और फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स

कबीर, नैला, (2019) जेंडर, लेबर मार्केट और विमेन्स एम्पावरमेंट

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, (2023) ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट

सेन, अमर्त्य, (1990) जेंडर और कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट

फ्रेज़र, नैन्सी, (2013) फेमिनिज्म की किस्मत

मार्क्स, कार्ल, (1844) की इकोनॉमिक और फिलॉसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स

वेबर, मैक्स, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म

फेडेरिसी, सिल्विया, वेजेज अगेंस्ट हाउसवर्क

ब्रिन्योल्फसन, एरिक और मैकेफी, एंड्र्यू, द सेकंड मशीन एज

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन, डिसेंट वर्क एजेंडा

मैस्लो, अब्राहम, मोटिवेशन और पर्सनैलिटी

यूएन विमेन, (एनुअल रिपोर्ट्स)

वर्ल्ड बैंक जेंडर डेटा (2024)